भारत के राजपत्र - असाधारण के भाग 1, खंड I में प्रकाशनार्थ

फा. सं. 6/52/2025 - डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य विभाग
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

जांच शुरुआत अधिसूचना
मामला संख्या ए डी (ओ आई) - 47/2025

दिनांक: 29 सितंबर, 2025

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कतिपय ऑर्गनोफॉस्फोनेट्स - फॉस्फोनिक एसिड, अर्थात् (I) एच ई डी पी एसिड और (II) ए टी एम पी एसिड के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत

1. **फा.सं. 6/52/2025- डीजीटीआर** - समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' के रुप में कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद 'नियमावली' के रुप में कहा गया है) के अनुसार, एक्काफार्म केमिकल लिमिटेड और एक्सेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिन्हें इसके बाद 'आवेदक' के रुप में कहा गया है) द्वारा चीन जन. गण. (जिसे इसके बाद 'संबद्ध देश' के रुप में कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कतिपय ऑर्गनोफॉस्फोनेट्स - फॉस्फोनिक एसिड अर्थात एचईडीपी एसिड, एटीएमपी एसिड और डीटीपीएमपीए एसिड को उनके सभी भौतिक रूप और सांद्रता (कंसंट्रेशन) में आयात किए जाने के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने और पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के संबंध में, निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें इसके बाद 'प्राधिकारी' के रुप में कहा गया है) के समक्ष, एक आवेदन दायर किया गया है।

2. आवेदकों ने यह आरोप लगाया है कि संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित प्रत्येक संबद्ध वस्तुओं, अर्थात् एचईडीपी एसिड, एटीएमपी एसिड और डीटीपीएमपीए एसिड का पाटन होने से भारत में घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। तदनुसार,

आवेदकों ने चीन जन. गण. से कतिपय ऑर्गनोफॉस्फोनेट्स - फॉस्फोनिक एसिड, अर्थात् एचईडीपी एसिड, एटीएमपी एसिड और डीटीपीएमपीए एसिड के आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का अनुरोध किया है। तथापि, प्रस्तुत की गई सूचना की *प्रथम दृष्टया* जांच के आधार पर, प्राधिकारी ने यह पाया है कि डीटीपीएमपीए एसिड के पाटन के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है। अत: प्राधिकारी चीन जन. गण. से डीटीपीएमपीए एसिड के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू नहीं कर रहे हैं। प्रस्तावित जांच चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कतिपय ऑर्गनोफॉस्फोनेट्स - फॉस्फोनिक एसिड अर्थात (I) एचईडीपी एसिड और (II) एटीएमपी एसिड (जिसे इसके बाद 'विचाराधीन उत्पाद' अथवा 'संबद्ध वस्तु' केरुप में कहा गया है) के आयातों तक सीमित होगी।

क. <u>विचाराधीन उत्पाद</u>

3. "वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद ""कुछ ऑर्गेनोफॉस्फोनेट - फॉस्फोनिक एसिड"" है। " एचईडीपी एसिड, एटीएमपी एसिड और डीटीपीएमपीए एसिड, उनके सभी भौतिक रूप और सांद्रता में, लवण, निर्माण और उसके डेरिवेटिव को छोड़कर।

I. <u>एचईडीपी एसिड</u>

एचईडीपी एसिड अथवा एटिड्रोनिक एसिड, एक स्पष्ट, रंगहीन हल्के पीले रंग का एसिड है। इसका रासायनिक नाम 1- हाइड्रॉक्सी एथिलिडीन- 1, 1- डाइफॉस्फोनिक एसिड है, इसका रासायनिक सूत्र C2H8O7P2 है और उत्पाद की सीएएस सं. 2809 -21- 4 है। इसे हाइड्रॉक्सीएथिलिडीन -1, 1- डाइफॉस्फोनिक अम्ल, 1- हाइड्रॉक्सीएथिलिडीनडाइफॉस्फोनिक एसिड और हाइड्रॉक्सीएथिलिडीन डाइफॉस्फोनिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्पाद विभिन्न रूपों जैसे जलीय और क्रिस्टल के साथ-साथ विभिन्न सांद्रताओं (कंसेंट्रेशन) में भी उपलब्ध है। तथापि, इस उत्पाद का बड़े पैमाने पर आयात किया जाता है और 60% सांद्रता में बेचा जाता है। इसे फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड को एसिटिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके बनाया जाता है। इसके विभिन्न अनुप्रयोग हैं, जिनमें डिटर्जेंट, जल उपचार, ऑयल फील्ड, कपड़ा, कागज़, व्यक्तिगत देखभाल, आरओ मैम्ब्रान और थर्मल डिसेलिनेशन एंटी स्केलेंट शामिल हैं।

II. <u>एटीएमपी एसिड</u>

एटीएमपी एसिड या एमिनोट्राइमेथिलीन फॉस्फोनिक एसिड रंगहीन हल्के पीले रंग का होता है। इसका रासायनिक सूत्र $N(CH_2PO_3H_2)_3$ है और इसकी सीएएस सं. 6419-19-8 है। इसे एमिनो ट्राइ (मिथाइलीन फॉस्फोनिक एसिड) और ट्रिस (मिथाइलीन

फॉस्फोनिक एसिड) अमीन के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्पाद जलीय विलयन के रूप में और विभिन्न सांद्रताओं में उपलब्ध है। इसे फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड को अमोनिया या अमोनियम सल्फेट और फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करके बनाया जाता है। इसका उपयोग औद्योगिक जल उपचार, ऑयल फील्ड, औद्योगिक क्लीनर, कागज और लुगदी, कपड़ा उद्योग, धातु उपचार, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, स्याही और निर्माण रसायनों के लिए विभिन्न रासायनिक फाम्युलेशन में स्केल अवरोधक और एक कंपलेक्सिंग एजेंट के रूप में किया जाता है।

मापन की इकाई

4. विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन और बिकबिक्री मीट्रिक टन में व्यक्त भार के अनुसार किया जाता है।

टैरिफ वर्गीकरण

5. संबद्ध वस्तुओं को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची 1 के अध्याय 29 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, इन वस्तुओं का आयात सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची 1 के अध्याय 38 के अंतर्गत भी किया जाता है। संबद्ध वस्तुओं का आयात टैरिफ मदों 2918, 2910, 2922, 1990, 2931, 4990, 2931, 5900, 2931, 9019, 2931, 9090, 2942, 0090, 3809, 9200 और 3824, 9900 के अंतर्गत किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

6. आवेदकों ने वर्तमान अवस्था में किसी पी सी एन पद्धति का प्रस्ताव नहीं किया है। वर्तमान जांच के पक्षकार इस जांच की शुरुआत होने की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर अपनी टिप्पणियां प्रदान कर सकते हैं और पी सी एन (औचित्य के साथ), यदि कोई हो, प्रस्तावित कर सकते हैं।

ख. समान वस्तु

7. आवेदकों ने यह दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित एचईडीपी एसिड और एटीएमपी एसिड तथा संबद्ध देशों से उत्पादित एवं निर्यातित विचाराधीन उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित प्रत्येक संबद्ध उत्पाद में तकनीकी विशिष्टताओं, भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्यों एवं उपयोगों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में संबद्ध देश से आयातित प्रत्येक संबद्ध उत्पाद के समान विशेषताएं हैं। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक आयातित उत्पाद तकनीकी और व्यावसायिक दृष्टि से घरेलू उद्योग द्वारा

उत्पादित प्रत्येक उत्पाद के साथ प्रतिस्थापनीय है और ग्राहक संबद्ध वस्तु और समान वस्तु का परस्पर उपयोग कर रहे हैं। अत: वर्तमान जांच शुरुआत करने के प्रयोजन के लिए, आवेदकों द्वारा उत्पादित एचईडीपी एसिड और एटीएमपी एसिड को संबद्ध देश से आयातित प्रत्येक संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना गया है।

ग. <u>घरेलू उद्योग और स्थिति</u>

8. यह आवेदन एक्काफार्म केमिकल लिमिटेड और एक्सेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदकों ने यह दावा किया है कि भारत में संबद्ध वस्तुओं का कोई अन्य घरेलू उत्पादक नहीं है और इस प्रकार, आवेदक के पास भारत में एचईडीपी एसिड और एटीएमपी एसिड के उत्पादन का 100% हिस्सा हैं।

9. आवेदकों ने यह अवगत कराया है कि वे संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक या भारत में संबद्ध वस्तुओं के किसी आयातक से संबद्ध नहीं हैं।

10. आवेदकों ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है। आवेदकों ने यह अनुरोध किया है कि आवेदकों में से एक, एक्काफार्म केमिकल लिमिटेड ने क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का आयात किया था। तथापि, आवेदक ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है।

11. इसके आलोक में, यह नोट किया जाता है कि आवेदक *प्रथम दृष्टया* नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग का गठन करते हैं, और यह आवेदन *प्रथम दृष्टया* नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति के मानदंडों को पूरा करता है।

घ. <u>संबद्ध देश</u>

12. वर्तमान जांच के लिए संबद्ध देश चीन जन. गण. है।

ङ. <u>जांच की अवधि</u>

13. वर्तमान जांच की अवधि दिनांक 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 (12 माह) की है। तदनुसार, क्षति जांच की अवधि में दिनांक 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 और जांच की अवधि शामिल होगी।

च. **कथित पाटन का आधार**

सामान्य मूल्य

14. आवेदक ने यह दावा किया है कि चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क) (i) और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार, चीन के उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण चीन जन. गण. में प्रचलित लागत या घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर तभी किया जा सकता है, जब चीन के प्रतिवादी उत्पादक यह प्रदर्शित करें कि उनकी लागत और कीमत से संबंधित सूचना बाजार से संचालित सिद्धांतों पर आधारित है और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 1 से 6 के अनुसार उचित तुलना की अनुमति है। ऐसा न होने पर, चीन के उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 और 8 के आधार पर किया जाना चाहिए।

15. आवेदक ने यह भी दावा किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था में लागत या मूल्य से संबंधित डेटा तीसरे देश में या अन्य वैकल्पिक तरीकों का सहारा लेने के लिए उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार, उचित लाभ के साथ बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों को विधिवत समायोजित करने के बाद घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर, भारत में देय मूल्य पर विचार करते हुए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है।

निर्यात कीमत

16. संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत की गणना डीजीसीआई एंड एस के लेन-देन-वार आयात संबंधी आंकड़ों के आधार पर की गई है। कीमतों को कारखाना-बाह्य स्तर पर लाने के लिए उचित कीमत समायोजन किए जाने का दावा किया गया है ताकि वे सामान्य मूल्य के साथ तुलनीय हो सकें।

पाटन मार्जिन

17. एचईडीपी एसिड और एटीएमपी एसिड के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना-बाह्य स्तर पर की गई है, जिससे *प्रथम दृष्टया* यह पता चलता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम के स्तर से ऊपर है और संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, इस बात के *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से आयातित एचईडीपी एसिड और एटीएमपी एसिड को निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटित किया जा रहा है।

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध

18. घरेलू उद्योग को हुई क्षति का आकलन करने के लिए आवेदकों द्वारा दी गई सूचना पर विचार किया गया है। आवेदकों ने *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के पाटन से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है।

एचईडीपी एसिड

19. घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन के लिए आवेदक द्वारा दी गई सूचना पर विचार किया गया है। आवेदक ने प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जिसमें यह स्थापित किया गया है कि आयात से घरेलू उद्योग को भौतिक क्षति हुई है। डंपिंग मार्जिन न्यूनतम से अधिक है। इसके अलावा, यह दावा किया गया है कि घरेलू उद्योग ने इस तरह के आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी कीमतों को अपनी लागत से कम कर दिया और बाजार में एक कड़ी मूल्य प्रतिस्पर्धा थी। इससे घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और इसे नुकसान और नकद नुकसान हुआ है। घरेलू उद्योग किए गए निवेश पर पर्याप्त रिटर्न अर्जित करने में सक्षम नहीं था और इसने अपने निवेश पर नकारात्मक रिटर्न अर्जित किया।

एटीएमपी एसिड

20. घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन के लिए आवेदक द्वारा दी गई सूचना पर विचार किया गया है। आवेदक ने प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जिसमें यह स्थापित किया गया है कि आयात से घरेलू उद्योग को भौतिक क्षति हुई है। डंपिंग मार्जिन न्यूनतम से अधिक है और महत्वपूर्ण है। विषय आयात जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहे थे। इससे घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव पड़ा। घरेलू उद्योग को नुकसान और नकदी का नुकसान हुआ। घरेलू उद्योग किए गए निवेश पर पर्याप्त रिटर्न अर्जित करने में सक्षम नहीं था और इसने अपने निवेश पर नकारात्मक रिटर्न अर्जित किया।

21. अत:, यह *प्रथम दृष्टया* इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से फॉस्फोनिक एसिड अर्थात एचईडीपी एसिड और एटीएमपी एसिड के पाटन के कारण क्षति हुई है।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

22. घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से दायर किए गए विधिवत प्रमाणित आवेदन के आधार पर, तथा आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए *प्रथम दृष्टया* साक्ष्यों के आधार पर, जो

संबद्ध देश से फॉस्फोनिक एसिड अर्थात् एचईडीपी एसिड और एटीएमपी एसिड के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति तथा ऐसे पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को प्रमाणित करते हैं तथा नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार, प्राधिकारी, संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की उचित राशि की सिफारिश करने के लिए एक जांच की शुरुआत करते हैं, जिसे यदि लगाया जाए तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी,

झ. <u>प्रक्रिया</u>

23. वर्तमान जांच में नियमावली के नियम 6 में दिए गए सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

ञ. <u>सूचना की प्रस्तुति</u>

24. प्राधिकारी को समस्त पत्र-व्यवहार ईमेल पते dd19-dgtr@gov.in और ds2-dgtr@gov.in पर ईमेल द्वारा किए जाने चाहिए, जिसके साथ ही एक-एक प्रति adv11-dgtr@gov.in और consultan-dgtr@govcontractor.in पर भी भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का विस्तृत भाग सर्च योग्य पीडीएफ/ एमएस-वर्ड फार्मेट में हो और डेटा फ़ाइलें एमएस-एक्सेल फार्मेट में हों।

25. संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत स्थित उनके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, और भारत में आयातकों और उपयोगकर्ताओं, जो प्रत्येक संबद्ध वस्तु से जुड़े हुए हैं, को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे दी गई समय-सीमा के भीतर सभी संगत सचना प्रस्तुत कर सकें। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा निर्धारित प्रारूप में और निर्धारित तरीके से प्रस्तुत की जानी चाहिए।

26. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा निर्धारित प्रारूप से और निर्धारित तरीके से, इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर, वर्तमान जांच से संबंधित अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

27. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार को उसका एक अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

28. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी परामर्श दिया जाता है कि वे किसी भी अद्यतन सूचना के साथ-साथ जांच से संबंधित आगे की प्रक्रियाओं के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.dgtr.gov.in) को नियमित रूप से देखते रहें।

ट. <u>समय सीमा</u>

29. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना/ अनुरोध, नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, इस सूचना के प्राप्त होने की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर प्राधिकारी को ईमेल पते dd19-dgtr@gov.in और ds2-dgtr@gov.in पर भेजी जानी चाहिए, जिसकी एक प्रति adv11-dgtr@gov.in और consultan-dgtr@govcontractor.in पर भी भेजी जानी चाहिए। तथापि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार, सूचना और अन्य दस्तावेज़ों के लिए आवेदन करने वाला नोटिस, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भेजे जाने या संबद्ध देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ माना जाएगा। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त हुई सूचना अधूरी है, तो प्राधिकारी रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और नियमों के अनुसार अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

30. सभी हिबद्ध पक्षकारों को यह परामर्श दिया जाता है कि वे तत्काल मामले में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) के संबंध में बताएं और उपरोक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली के उत्तर दाखिल करें।

ठ. <u>गोपनीय आधार पर सूचना की प्रस्तुति</u>

31. जहां कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करता है या गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करता है, तो ऐसे पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का एक अगोपनीय पाठ भी प्रस्तुत करना होगा। इसका पालन न किए जाने पर उत्तरों/ अनुरोधों को अस्वीकार किया जा सकता है।

32. ऐसे अनुरोधों के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" के रूप में अंकित किया जाना चाहिए। प्राधिकारी को बिना ऐसे अंकत के प्रस्तुत किए गए कोई भी अनुरोध प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" सूचना मानी जाएगी, और प्राधिकारी अन्य

हितबद्ध पक्षकारां को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

33. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो गोपनीय प्रकृति की हैं, और/ या ऐसी अन्य सूचना, जिसे ऐसी सूचना का आपूर्तिकर्ता गोपनीय होने का दावा करता है। ऐसी सूचना के लिए, जिसके गोपनीय प्रकृति की होने का दावा किया जाता है, या जिस सूचना की गोपनीयता का दावा अन्य कारणों से किया जाता है, तो सूचना प्रदाता को दी गई सूचना के साथ एक उचित कारण का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता।

34. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना का अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानतः अनुक्रमित या रिक्त स्थान दिया गया हो (जहां अनुक्रमण संभव न हो) और ऐसी सूचना को उस सूचना के आधार पर उचित और पर्याप्त रूप से संक्षेपित किया जाना चाहिए जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है।

35. अगोपनीय सारांश में पर्याप्त विवरण होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को उचित रूप से समझा जा सके। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह संकेत दे सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है और नियमावली के नियम 7 के अनुसार पर्याप्त और पर्याप्त स्पष्टीकरण सहित कारणों का एक विवरण, और प्राधिकारी द्वारा जारी की गई उचित व्यापार सूचनाएं, कि ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं है, प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए प्रदान की जानी चाहिए।

36. अन्य हितबद्ध पक्षकार, किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत किए गए गोपनीयता के मामलों पर अनुरोध के अगोपनीय पाठ के प्रसारित होने की तारीख से सात (7) दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

37. गोपनीयता के दावे पर नियमावली के नियम 7 के अनुसार सार्थक अगोपनीय पाठ या पर्याप्त कारण का विवरण, और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार नोटिस के बिना प्रस्तुत किया गया कोई भी अनुरोध, प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

38. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच के आधार पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है या यदि सूचना का प्रदाता सूचना को

सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

39. प्राधिकारी, प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार करने पर, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार की विशिष्ट अनुमति के बिना किसी भी पक्षकार को इसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ड. <u>सार्वजनिक फ़ाइल का निरीक्षण</u>

40. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और उसमें उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने अनुरोध का अगोपनीय पाठ अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें। अनुरोध का अगोपनीय पाठ प्रसारित न किए जाने पर, किसी हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी माना जा सकता है।

ढ़. <u>असहयोग</u>

41. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना तक पहुंच से इनकार करता है, या उचित अवधि के भीतर या इस जांच शुरुआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर आवश्यक सूचना प्रदान नहीं करता है, या जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं जो वह उचित समझें।

सिद्धार्थ

(सिद्धार्थ महाजन)
निर्दिष्ट प्राधिकारी